



129869 - वह कौन सा रोज़ेदार है जिसको रोज़ा इफ्तार कराने पर मुसलमान को सवाब मिलता है ?

प्रश्न

क्या वह रोज़ेदार जिसको रोज़ा इफ्तार कराने पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उभारा है, वह गरीब रोज़ेदार है, या परदेसी रोज़ेदार या वह व्यक्ति है जिसे हम अपने घर में इफ्तार करने के लिए आमंत्रित करते हैं जैसे कि अतिथि और निकट संबंधी (रिश्तेदार), और क्या उन रोज़ेदारों को भी इफ्तार कराने पर हमें अज्र मिलेगा जिन्हें हम रमज़ान के महीने में विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और स्तुति केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि आप ने फरमाया : “जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, उसके लिए उसी के समान अज्र है परंतु यह रोज़ेदार के अज्र में कोई कमी नहीं करेगा।” इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 807) ने रिवायत किया है।

यहाँ पर रोज़ेदार से अभिप्राय : कोई भी मुसलमान रोज़ेदार है, खासकर वह व्यक्ति जो सड़कें का हक़दार है, जैसे गरीब, मिसकीन और मुसाफ़िर। इसका अर्थ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान के समान है : “जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी गाज़ी (मुजाहिद) को तैयार किया तो उसने ग़ज़्वा (जिहाद) किया।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 2843) ने रिवायत किया है।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह हमारे पैगंबर मुहम्मद, आपकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।” (संपन्न हुआ)

इफ़्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

“इफ़्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति का फ़तावा” (9/33).

तथा अधिक लाभदायक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या : (50047) और (118145) के उत्तर देखिये।